न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

चैनराज बनाम बहादुरसिंह व अन्य
किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 239/2025 (पुष्कर)

रि०/०५
२१/५/२५

	श्री महेन्द्रसिंह चौहान	
21.05.2025	चैनराज बनाम बहादुरसिंह वगैरह (2025/239) यह अपील श्री महेन्द्रसिंह चौहन एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 60/2024 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियमं पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो देरी के कारण अंकित किये है जो सदभाविक व संतोषजनक है। **अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकल अवलोकन हमने पाया किदिनांक 12.12.2024 अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसे दर्ज कर एकपक्षीय सुना जाकर अंतरिम स्थगन आदेश पारित किये गये तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात अप्रार्थी/ अपीलांट द्वारा दिनांक 10.02.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब पेश किया गया। दिनांक 09.04.2025 को पत्रावली अंतिम बहस हेतु नियत की गई। दिनांक 25.04.2025 को अप्रार्थी संख्या 06 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जा0दी0 पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2024 को अप्रार्थी को सुना जाकर अंतरिम स्थगन आगामी पेशी तक जारी किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निरतारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212	

लगातार––

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर
RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

चैनराज बनाम बहादुरसिंह व अन्य

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 239/2025 (पुष्कर)

श्री महेन्द्रसिंह चौहान PS.

लगातार...	राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

1

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय अजमेर

अपील टिनेन्सी एक्ट संख्या 239 सन 2025 जिला अजमेर

2025 | 239

चैनराज सिंह पुत्र लादूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डूगरियाकलां तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

...........अपीलाण्ट

बनाम

1. बहादुरसिंह पुत्र मगनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डूगरियाकलां तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
2. बजरंगसिंह पुत्र मगनसिंह
3. भंवरसिंह पुत्र हनुमानसिंह
4. संजयसिंह पुत्र रतनसिंह
5. सोनूकंवर पुत्री रतनसिंह
6. मंजूकंवर पुत्री रतनसिंह
7. हेमाकंवर पुत्री रतनसिंह
8. ममताकंवर पुत्री रतनसिंह
9. संजूकंवर पुत्री रतनसिंह
10. उच्छबकंवर पुत्री रतनसिंह
11. घीसूसिंह पुत्र शेरसिंह
12. मुन्नीकंवर पुत्री शेरसिंह
13. केलाकंवर पुत्र शेरसिंह
14. हिम्मतसिंह पुत्र नन्दसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम डूगरियाकलां तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय पुष्कर जिला अजमेर।

...........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय पुष्कर दिनांक 12.12.2024 जो कि प्रकरण संख्या 60/2024 बउनवानी बहादुरसिंह बनाम चैनराजसिंह व अन्य में पारित किया गया।

2025/239
21/5/25

Scanned with CamScanner